

दिल्ली परिवहन निगम
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)
प्रशासन विभाग, इन्द्रप्रस्थ मुख्यालय
नई दिल्ली-110001

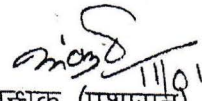
पत्र सं०.प्रशा०/7 (27)/2017/28

दिनांक:- 12/01/2017

परिपत्र

मेडिकल स्कीम के अन्तर्गत ईलाज के लिए अग्रिम राशि (Advance) उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारियों की आधी अधूरी फाईल डिपो/यूनिटों से मुख्यालय को भेजी जाती है जिसको उच्चाधिकारियों ने गम्भीरता से लिया है। अतः भविष्य में इलाज के लिए अग्रिम राशि प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की फाईल मुख्यालय को भली प्रकार जाच के पश्चात ही भेजें। फाईल को मुख्यालय भेजने से पहले कृपया सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी निम्नलिखित को सुनिश्चित करें :-

1. मेडिकल एडवांस केवल हृदय की बीमारी, किडनी की बीमारी एवं कैंसर की बीमारी के लिए ही दिया जाता है। केवल उक्त बीमारों की फाईलों को नम्बर लगाकर ही अग्रिम राशि के लिए मुख्यालय भेजा जाए।
2. बीमारी की जांच की रिपोर्ट तथा डाक्टर की **Prescription** की सत्यापित कापी फाईल में लगी होनी चाहिए।
3. **Estimate** की **Original** कापी फाईल में लगी होनी चाहिए।
4. फाईल में लगें सभी कागजात कर्मचारी द्वारा **Attest/ Self Attestation** होने चाहिए, यदि कर्मचारी अस्पताल में दाखिल है तो इस स्थिति में इन कागजात को सम्बन्धित डिपो प्रबन्धक/यूनिट अधिकारी **Attest** करेंगे।
5. कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तिथि फाईल पर अवश्य लिखी होनी चाहिए।


प्रबन्धक (प्रशासन)

समस्त डिपो प्रबन्धक/यूनिट अधिकारी